

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (317) ग्रावि/ग्रुप-5/पीएमएवाई/अभि./गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18 जयपुर, दि. 04.05.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषय:- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्रम में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किये जाने बाबत।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना से कर्नवेजेन्स के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि एवं आवास सॉफ्ट में आ रही समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में जिलों में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता (अभि.)/ सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता एवं तकनीकी सहायको की दो दिवसीय कार्य शाला दिनांक 02.05.2017 एवं 03.05.2017 को इन्द्रिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर मे आयोजित की जावेगी।

अतः आपके जिले एवं पंचायत समिति में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) /सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता एवं तकनीकी सहायकों को निम्नानुसार प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कार्यशाला में भाग लेने हेतु निर्देशित करावें।


क्र.सं.	दिनांक एवं समय	पदनाम	संभाग का नाम
1	02.05.2017 प्रातः 09.30 से सांय 06.00 बजे तक	अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) एवं एमआईएस (आवास), जिला परिषद एवं प्रत्येक पंचायत समिति से जिला परिषद द्वारा मनोनीत 2-2 प्रतिनिधि (सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक)	उदयपुर, बीकानेर एवं जोधपुर
2	03.05.2017 प्रातः 09.30 से सांय 06.00 बजे तक	अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) एवं एमआईएस (आवास), जिला परिषद एवं प्रत्येक पंचायत समिति से जिला परिषद द्वारा मनोनीत 2-2 प्रतिनिधि (सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक)	अजमेर, जयपुर भरतपुर एवं कोटा

—Sd—

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, आईजीपीआरएस, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
9. अतिरिक्त निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त कार्यशाला में लगभग 700 सम्भागियों द्वारा भाग लिया जावेगा। अतः निर्धारित दिनांक को आडोटोरियम आंरक्षित कर, चाय, अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था के साथ-साथ दुरस्थ जिलों के लगभग 50-60 सम्भागियों हेतु (1 मई व 2 मई को) कमरें/लोजिंग एवं बोर्डिंग तथा भाग लेने वाले सभी सम्भागियों को प्रशिक्षण सामग्री हेतु बेग, स्लिप पेड, पेन ड्राइव इत्यादि की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण / इंदिरा आवास योजना मे उपलब्ध प्रशासनिक मंद से प्रभार्य होगा।
10. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)